

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,
दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-4212/2008

चंदेश्वर प्रसाद पुत्र स्वर्गीय मोती राम निवासी- गाँव-मंझौली, थाना-विक्रम, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य।
2. वाणिज्यिक कर आयुक्त बिहार, नया सचिवालय, पटना।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रभाग), वाणिज्यिक कर विभाग, पटना प्रभाग, पटना।
4. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दानापुर अंचल, दानापुर, पटना।

.....प्रतिवादीगण

- भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार द्वारा पारित दिनांकित विवादित आदेश को रद्द करने और रद्द करने का निर्देश या आदेश-पटना उच्च न्यायालय के दो विपरीत निर्णय-एक अनिल के. आर. सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में 1993 में (1) पी. एल. जे. आर. 414 और दूसरा कमलानंद झा बनाम के मामले में रिपोर्ट किया। बिहार राज्य और अन्य ने 2007 (1) पी. एल. जे. आर. 672 में रिपोर्ट किया-**मामला खंड पीठ को भेजा गया।**
- दो विरोधाभासी निर्णय-एक अनिल कुमार सिंह (ऊपर) के मामले में और दूसरा कमलानंद झा (ऊपर) के मामले में- **विचार के लिए प्रश्न-क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नीति के तहत निर्धारित समय सीमा उस आवेदक के मामले में भी लागू होगी जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के प्रासंगिक समय पर नाबालिग था? (कंडिका-8)**
- दो विरोधाभासी निर्णय-एक अनिल कुमार सिंह (ऊपर) के मामले में और दूसरा कमलानंद झा (ऊपर) के मामले में, (जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर 2006 (5) एस. सी. सी. 766; (कंडिका 12 से 16)।
- अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, जिसने

परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया था। (संजय कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 2000 (7) एससीसी 192) (रिलायंस:- चंद्र भूषण बनाम बिहार राज्य और अन्य ने 1997 (1) पी. एल. जे. आर. 626 (पी. ए. टी.) में कहा कि आवेदक के अधिकार को अधिकारियों द्वारा की गई देरी के आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता है जो आवेदक के नियंत्रण से बाहर था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इससे सहमति नहीं जताई और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के अधिकारियों के फैसले की पुष्टि की क्योंकि यह समय की पाबंदी है।

(कंडिका-9.2)

- भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-अनुच्छेद 14-अनुच्छेद 16-अनुकंपा नियुक्ति-वित्तीय बाधा को दूर करने के लिए अपवाद-लोक अधिकारी को की गई प्रत्येक नियुक्ति को अनुच्छेद 14 और 16 की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।(एम. जी. बी. ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह 2014 (13) एस. सी. सी. 583, पैरा-6) केवल सरकारी कर्मचारी की नौकरी में मृत्यु परिवार को अनुकंपा रोजगार का दावा करने का अधिकार नहीं देती है। सक्षम प्राधिकारी को मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट हो कि रोजगार प्रदान किए बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तो परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है। इसके अलावा, इस तरह की नियुक्ति का दावा करने वाले व्यक्ति के पास पद के लिए आवश्यक पात्रता होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अनुकंपा रोजगार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक निहित अधिकार नहीं है। न्यायालय को उदार व्याख्या द्वारा प्रावधान को मानवीय आधार पर अनुमेय सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को मुक्त करने के लिए इस तरह की नियुक्ति तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह के मामले को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है।

(कंडिका-9.3)

- सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाने के लिए

किसी भी प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है।(केनरा बैंक और एक अन्य बनाम एम. महेश कुमार 2015 (7) एससीसी 412)।

(कंडिका-9.4)

- सारांश-सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं किया जा सकता है। अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और अनुकंपा नियुक्ति योजना बनाने के लिए किसी भी अधिकार के साथ कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा गया है-अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को अनुचित देरी के बिना प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से निपटने के लिए है। इसलिए, उसकी मृत्यु या अक्षमता के समय मृतक/अक्षम कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति के बावजूद, अनुकंपा रोजगार को निश्चित रूप से उदारता के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो-अनुकंपा रोजगार केवल मृतक/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक के लिए अनुमत है अर्थात् माता-पिता, जीवनसाथी, पुत्र या बेटी और सभी रिश्तेदारों के लिए नहीं, और ऐसी नियुक्तियां केवल निम्नतम श्रेणी के लिए होनी चाहिए जो कि वर्ग III और IV के पद हैं।

(कंडिका-9.5)

- अनुकंपा नियुक्ति-याचिकाकर्ता-जो अनुरोध के अनुसार किसी भी राहत का हकदार नहीं है-अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक का आवेदन-इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया कि यह योजना के तहत निर्धारित समय सीमा से वर्जित है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को तत्काल राहत देना है, जिसकी मृत्यु नौकरी में हुई थी, याचिकाकर्ता अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की किसी भी राहत का हकदार नहीं है। अब तक, 36 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और इसलिए, अनुकंपा के आधार पर आवेदक-याचिकाकर्ता को नियुक्ति देना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगा-याचिका खारिज कर दी गई।

(कंडिका-12 -13)

**पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,
दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-4212/2008**

चंदेश्वर प्रसाद पुत्र स्वर्गीय मोती राम निवासी- गाँव-मंझौली, थाना-विक्रम, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य।
2. वाणिज्यिक कर आयुक्त बिहार, नया सचिवालय, पटना।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रभाग), वाणिज्यिक कर विभाग, पटना प्रभाग, पटना।
4. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दानापुर अंचल, दानापुर, पटना।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए :श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता :श्री ललित किशोर, महाधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा :- माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख:25-10-2018

1. इस याचिका के माध्यम से अनुच्छेद 226 के तहत भारत के संविधान में, याचिकाकर्ता ने पटना में वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार द्वारा पारित दिनांक 03.12.2007 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने और रद्द करने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश

के लिए अनुरोध किया है, जिसके द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ध्यान दिया कि पटना उच्च न्यायालय दो विपरीत निर्णय हैं एक, अनिल कुमार सिंह और अन्य बनाम् बिहार राज्य 1993 (1) पी. एल. जे. आर. 414 में प्रतिवेदित मामले में और दूसरा कमलानंद झा बनाम् बिहार राज्य और अन्य 2007 (1) पी. एल. जे. आर. 672 में प्रतिवेदित मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को एक उपयुक्त खंड पीठ को भेजने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है। कि इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार, मामला खंड पीठ को भेजा जाता है और इस तरह, मामला खंड पीठ के समक्ष है।

3. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संक्षिप्त प्रश्न, जो इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या उस मामले में भी जहां मृतक-कर्मचारी की मृत्यु के समय कोई आश्रित नाबालिग होगा और सीमा की अवधि (नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि) के भीतर व्यस्क नहीं हुआ है, वह बाद में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार होगा जब वह व्यस्क हो जाएगा ?

4. वर्तमान याचिका के लिए अग्रणी तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

4.1 कि मृतक कर्मचारी के पिता आवेदक-याचिकाकर्ता स्वर्गीय मोती राम की सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, दानापुर सर्कल, दानापुर के कार्यालय में आदेशपाल के रूप में काम करते हुए मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 1982 में ही, उन्होंने अपनी मां के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, हालांकि, वर्ष 1982 में प्रासंगिक समय पर, विशेष रूप से, अपने पिता की मृत्यु की तारीख यानी 11.02.1982 पर, वह नाबालिग थे।

4.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 12.07.1997 के परिपत्र में निहित अनुकंपा नियुक्ति की पुरानी नीति के अनुसार, जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित थी, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए समय सीमा-अवधि दो वर्ष थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1991 में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि कुछ भी नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने 2000 के सी. डब्लू. जे. सी. संख्या 10964 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 11.09.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदक के आवेदन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। कि इसके बाद आक्षेपित आदेश द्वारा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह प्रासंगिक समय पर प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए सीमा द्वारा वर्जित है।

4.3 दुखी और असंतुष्ट महसूस करना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका को दायर की है।

5. श्री राजेंद्र कुमार जैन, विद्वान वकील याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला कमलानंद झा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में पूरी तरह से शामिल है, जिसमें इस न्यायालय ने **ब्रजेंद्र प्रसाद पोद्दार बनाम बिहार राज्य और अन्य 1990 (2) पी.एल.जे आर. 668** में प्रतिवेदित मामले में पहले के निर्णय पर विचार किया है। उपरोक्त दो निर्णयों में, यह विशेष

रूप से माना जाता है कि जब भी आश्रित व्यस्क हो जाएगा, तो वह विचार किए जाने का हकदार होगा, भले ही वह अपने पिता-मृत कर्मचारी की मृत्यु नाबालिग हो।

5.1 यह आगे श्री राजेंद्र कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि, अन्यथा, वर्ष 1982 में ही वर्तमान मामले में, आवेदक-याचिकाकर्ता, जो नाबालिग था, ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जो नीति के अनुसार निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर था और इसलिए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

6. श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता राज्य की ओर से पेश हुए हैं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिका में इस तरह शामिल मुद्दा अनिल के. आर. सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी तरह से शामिल है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर ने आगे कहा कि उक्त मामले में इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आश्रित मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय नाबालिग होगा और सीमित अवधि के भीतर वयस्क नहीं होगा। वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

6.1. यह आगे श्री ललित किशोर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विद्वान राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1982 में कथित रूप से किया गया आवेदन विभाग के अभिलेख पर भी नहीं है और यहां तक कि इसे इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर भी नहीं रखा गया है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर एकमात्र आवेदन वर्ष 1991 में किया गया आवेदन है, जो मृतक कर्मचारी की

मृत्यु की तारीख से 9 साल की अवधि के बाद और याचिकाकर्ता के वयस्क होने की तारीख से छह साल की अवधि के बाद था।

6.2 यह आगे श्री ललित किशोर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विद्वान राज्य की ओर से पेश होने वाले महाधिवक्ता ने कहा कि इस तरह ब्रजेंद्र प्रसाद पोद्दार (ऊपर) के मामले में, जो कमलानंद झा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा बाद में विचार किए जाने के लिए आया था, निर्णय इस तरह तथ्यों पर था और इसलिए, कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, अनिल के. आर. सिंह (उपर) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय, जो सुनवाई के लिए हैं, को कमलानंद झा (उपरोक्त) के मामले में बाद के निर्णय में इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह कमलानंद झा (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को पर इनक्यूरियम कहा जा सकता है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री ललित किशोर द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा अब तक 36 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और इसलिए, अब अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार करना अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य और मकसद को समाप्त करना होगा। उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना और अनिल कुमार सिंह और अन्य (उपर) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भी भरोसा करना, यह वर्तमान याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

- (i) **संजय कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 2000 (7) एस. सी. सी. 192;** में प्रतिवेदित
- (ii) **जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर 2006 (5) एस. सी. सी. 766;** में प्रतिवेदित

(iii) *एम. जी. बी. ग्रामीण बैंक बनाम. चक्रवर्ती सिंह 2014 (13) एस.*

सी. सी. 583 में प्रतिवेदित और

(iv) *केनरा बैंक और एक अन्य बनाम एम. महेश कुमार 2015 (7)*

एस. सी. सी. 412 में प्रतिवेदित।

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तारपूर्वक सुना।
8. देखा और पाया कि इस न्यायालय के दो विरोधाभासी निर्णयों में से एक अनिल कुमार सिंह (ऊपर) के मामले में और दूसरा कमलानंद झा (ऊपर) के मामले में, मामला खंड पीठ को भेजा जाता है। इस न्यायालय के विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नीति के तहत निर्धारित समय सीमा उस आवेदक के मामले में भी लागू होगी जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के प्रासंगिक समय पर नाबालिग था?
9. उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे पर विचार करते समय, अनुकंपा नियुक्ति पर माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैं:
- 9.1 सज्जाद अहमद मीर (सुप्रा) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय को पैराग्राफ 12 से 16 में अनुकंपा नियुक्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने कारण था। पैराग्राफ 11 से 16 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की है;

11. हम यह भी देख सकते हैं कि जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ आवेदक के मामले पर विचार कर रही थी कि उसने "करुणा" मांगी थी, तो पीठ को बड़े मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए था और यह है कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। आम तौर पर, सरकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह

संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम को तब तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए जब तक कि मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ मांग करती हैं, जैसे कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और सदमा लगने के कारण परिवार के पीड़ित होने की संभावना। एक बार जब यह साबित हो जाता है कि कमाने वाले की मृत्यु के बावजूद, परिवार बच गया और पर्याप्त अवधि समाप्त हो गई है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम को "अलविदा" कहने और संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश की अनदेखी करते हुए कई अन्य लोगों के हितों की कीमत पर एक व्यक्ति का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक का दावा इस आधार पर आधारित है कि वह मृतक-कर्मचारी पर निर्भर था। इस दावे को संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह के दावे को उचित माना जाता है और उस कर्मचारी के परिवार में अचानक आने वाले संकट के आधार पर भी स्वीकार्य माना जाता है, जिसने राज्य की सेवा की थी और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अधिकारियों के लिए नियमों, विनियमों को तैयार करना या ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी करना आवश्यक है जो अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरे उतर सकें। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

13. एल. आई. सी. ऑफ इंडिया बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर में, यह संकेत दिया गया था कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचारों से प्रेरित आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकते हैं, जब उनके संबंध में बनाए गए विनियम ऐसी नियुक्तियों को शामिल नहीं करते हैं और उन पर विचार नहीं करते हैं।

14. उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में, यह निर्णय दिया गया कि लोक सेवा नियुक्ति आवेदनों के खुले निमंत्रण और योग्यता के आधार पर सख्ती से की जानी चाहिए। अनुकंपा के

आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती है। यह सेवा में अपने परिवार को आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ते हुए कर्मचारी की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कानून की आवश्यकता के लिए केवल एक अपवाद है। ऐसे मामलों में, उद्देश्य परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। इसलिए अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्तियां मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। मृतक कर्मचारी के आश्रित के साथ इस अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ स्पष्ट संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी निर्धनता के खिलाफ राहत। हालाँकि, साथ ही, यह नहीं भूलना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत, लाखों और लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो बेसहारा हैं। मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए है, जो अचानक बदल जाते हैं।

15. सुषमा गोसाई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, यह देखा गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावों में नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को मुक्त करने के लिए इस तरह की नियुक्तियां तुरंत प्रदान की जानी चाहिए।

16. हाल ही में, आयुक्त,सार्वजनिक निर्देश बनाम के. आर. विश्वनाथ में हममें से एक (पसायत, न्यायमूर्ति) को उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने का कारण मिला और उसमें निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया है।

9.2. संजय कुमार (उपरोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा है और अभिनिर्धारित किया है। अनुकंपाशील युक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप कमाने वाले की मृत्यु हो

जाती है, जिसने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि जब तक आवेदक कई वर्षों के बाद वयस्क नहीं हो जाता, तब तक किसी रिक्ति के लिए आरक्षण नहीं हो सकता है, जब तक कि कुछ विशिष्ट प्रावधान न हों। यह भी देखा गया है कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का आधार यह देखना है कि परिवार को तत्काल राहत मिले। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में आवेदक ने मृत कर्मचारी की मृत्यु के आठ साल बाद वयस्कता की आयु प्राप्त की और फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जैसे कि समय की पाबंदी के कारण इसे खारिज कर दिया गया और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त निर्णय में, के मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी **चंद्र भूषण बनाम बिहार राज्य और अन्य 1997 (1) पी. एल. जे. आर. 626 (पटना)** में प्रतिवेदित मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवेदक के अधिकार को अधिकारियों द्वारा की गई देरी के आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता है जो आवेदक के नियंत्रण से बाहर था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इससे सहमति नहीं जताई और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में अधिकारियों के फैसले की पुष्टि की। क्योंकि यह कालबद्ध था ।

9.3. एम. जी. बी. ग्रामीण बैंक (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में कहा और अभिनिर्धारित किया है जो निम्नानुसार है;

“6. सार्वजनिक पद पर प्रत्येक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की अनिवार्य आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए। शोक संतप्त परिवार पर वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करके एक अपवाद बनाया गया है, जिसने अपना कमाने वाला खो दिया है। केवल सरकारी कर्मचारी की मृत्यु परिवार को अनुकंपा रोजगार का

दावा करने का अधिकार नहीं देती है। सक्षम प्राधिकारी को मृतक कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है और यह तभी होता है जब यह संतुष्ट हो कि रोजगार प्रदान किए बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तो परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है। इसके अलावा, इस तरह की नियुक्ति का दावा करने वाले व्यक्ति के पास पद के लिए आवश्यक पात्रता होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अनुकंपा रोजगार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक निहित अधिकार नहीं है। न्यायालय को उदार व्याख्या द्वारा प्रावधान को मानवीय आधार पर अनुमेय सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को मुक्त करने के लिए इस तरह की नियुक्ति तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह के मामले को वर्षों तक लंबित रखना अनुचित है। ”

9.4. एम. महेश कुमार (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उमेश कुमार नागपाल (ऊपर) के मामले में अपने पहले के निर्णय पर भी विचार किया है और देखा एवं अभिनिर्धारित किया कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और अनुकंपा नियुक्ति योजना के बिना बनाने के लिए किसी भी प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है।

9.5. उपरोक्त निर्णय का योग और सार जैसा कि नीचे होगा;

“(I) सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं किया जा सकता है। अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और अनुकंपा नियुक्ति योजना के बिना बनाने के लिए किसी भी प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है।

(ii) अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को बिना किसी अनुचित देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से निपटने के लिए होती है। इसलिए, उसकी मृत्यु या अक्षमता के समय मृतक/अक्षम कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना, अनुकंपा रोजगार को निश्चित रूप से उदारता के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(iv) अनुकंपा रोजगार केवल मृत/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक यानी माता-पिता, पति या पत्नी, बेटे या बेटी के लिए अनुमत है और सभी रिश्तेदारों के लिए नहीं, और ऐसी नियुक्तियां केवल निम्नतम श्रेणी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए होनी चाहिए। ”

पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अनिल सिंह (ऊपर) के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है। वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले समान तथ्यों और परिस्थितियों में, आवेदक ने योजना के संदर्भ में नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने के लिए दी गई दो साल की समय सीमा से परे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उस मामले में भी मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय, आवेदक नाबालिग था और उसके बाद जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसका आवेदन कालबद्ध के कारण खारिज कर दिया गया, तो उसे चुनौती दी गई और इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के बाद, याचिका को खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की

आवश्यकता है कि उक्त निर्णय में, खंड पीठ ने विशेष रूप से कहा कि ब्रजेंद्र प्रसाद पोद्दार (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों में कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं दी गई है। इस प्रकार, हम **अनिल सिंह (ऊपर)** के मामले में खण्डपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

10. अब, जहाँ तक याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा कमलानंद झा उपर के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करने का संबंध है, शुरुआत में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कि उक्त निर्णय में खंड पीठ ने **अनिल कुमार सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय पर विचार नहीं किया। इसके अलावा, कमलानंद झा (ऊपर) के मामले में भी, इस न्यायालय की खंड पीठ ने ब्रजेंद्र पोद्दार (ऊपर) के मामले में निर्णय पर भरोसा किया था और उस पर विचार किया था, जिसे इस तरह से कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं माना गया था जैसा कि अनिल सिंह (ऊपर) के मामले में देखा गया था। इसलिए, कमलानंद झा (ऊपर) के मामले में खंड पीठ के निर्णय को इनक्यूरीयम के अनुसार कहा जा सकता है और यहां तक कि उक्त निर्णय को यहां ऊपर निर्दिष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत भी कहा जा सकता है।

11. अब, जहाँ तक विना कुमारी (ऊपर) के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा खंडपीठ के निर्णय का संबंध है, विना कुमारी (ऊपर) के मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। उक्त मामले में, यह पाया गया कि नीतिगत निर्णय के अनुसार जब समय सीमा 5 साल तक बढ़ा दी गई थी, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सीमा की अवधि के भीतर पाया गया था। वर्तमान मामले में, मृतक कर्मचारी की वर्ष 1982 में मृत्यु हो गई, आवेदक ने वर्ष 1985 में वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली। और उसके बाद उन्होंने वर्ष 1991/1992 में एक आवेदन किया और उसके बाद आवेदक ने वर्ष 2000 में पहली बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रासंगिक समय पर प्रचलित नीति के

अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा दो साल थी। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर निर्दिष्ट उपरोक्त निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर निर्धारित कानून पर विचार करते हुए हमारी राय है कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है जैसा कि याचिका में अनुरोध किया गया है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक-याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया है कि यह योजना के तहत निर्धारित समय सीमा से वर्जित है।

13. अन्यथा भी, तथ्यों और परिस्थितियों में और मामला और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य और मकसद जो मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को तत्काल राहत देना है, जिसकी मृत्यु नौकरी में हुई थी, याचिकाकर्ता अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की किसी भी राहत का हकदार नहीं है। अब तक 36 वर्षों से अधिक समय बीत गया है। और, इसलिए, अनुकंपा के आधार पर आवेदक-याचिकाकर्ता को नियुक्ति देना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य और मकसद के विपरीत होगा।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका विफल हो जाती है और यह खारिज करने के लायक है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(आशुतोष कुमार, जे)

ब्रजेश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।